रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 9, 1984/चैत्र 20, 1906
No. 171] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 9, 1984/CHAITRA 20, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1984

का. आ. 276(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत

सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 917(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में, स्तम्भ 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

''एक खुराक में निम्नलिखित होता है :—

3.5 ग्राम एम्पीसिलिन एनहाइड्रस + 1 ग्राम प्रोबेंसिड'' ।

[सं. 9(35)/83-औषधि 2]

ई. एन. मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 9th April, 1984

S.O. 276(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 917(E), dated the 17th December, 1983, namely :—

In the Table below the said Order for the entries under column 3, the following entries shall be substituted, namely :—

"One dose contains :

Ampicillin Anhydrous 3.5 gm.+Probencid 1 gm.".

[No. 9(35)|83-Drug.II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984